संख्या–वे0आ0–2–384/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गोपन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में राज्यपाल सचिवालय के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राज्यपाल सचिवालय के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) श्री राज्यपाल सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कतिपय पदों के वर्तमान पदनाम को निम्नानुसार संशोधित कर दिया जाय :––

क0 सं0	वर्तमान पदनाम	संस्तुत पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	प्रधान धोबी	प्रधान रजक (हेड लान्ड्री मैन)
2	धोबी	रजक (लान्ड्री मैन)
3	मेट	अनुसेवक
4	औषद्यालय मेहतर	सफाई कर्मचारी (औषद्यालय)
5	मलेरिया कुली	मलेरिया परिचर
6	भिश्ती	अनुसेवक

(2) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, लिपिकीय संवर्ग तथा आशुलिपिक आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों/संवर्गो के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग से दी जा चुकी हैं। श्री राज्यपाल सचिवालय के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—384(1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।